न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.
प्रकरण सं. 15/2009
अनवानः—

जीवण सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज०) (फौत)
1/1 नसीब कौर पत्नी जीवण सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज०)
1/2 गुरमीत कौर पुत्री जीवण सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज०)
1/3 भोला सिंह पुत्र जीवण सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राजे०)
1/4 बलकरण सिंह पुत्र जीवण सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व), टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज०)
2. बालकृष्ण पुत्र स्व० श्री जगदीश चन्द्र जाति अग्रवाल निवासी 1—डी—21, जवाहर नगर श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गगंगानगर (राज०)

अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र बाबत अमल दरामद किये जाने हेतु।

उपस्थितः—

1. श्री खुशप्रीत सिंह संधु, अभिभाषक प्रार्थीयान
2. श्री शिवराज सिंह बराड़, राजकीय अभिभाषक।
3. श्री बालकृष्ण अग्रवाल अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.) सत्यमेव जयते

:—निर्णयः—

दिनांकः—16.10.2025

प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र बाबत अमल दरामद किये जाने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तत्कालीन उप जिलाधीश हनुमानगढ़ ने पैतालिसा आंवटन नियम 1970 के तहत आंवटन अधिकारी की हैसियत से प्रार्थी के पूर्वजो दिवंगत तारा सिंह लाभ सिंह सरदारा सिंह, करतार सिंह पिसरान निधान सिंह जाति जट सिख निवासीगण सिलवाला खुर्द को 1 जी जी आर के प० न० 221/305 कि० न० 1 ता 4, 8 ता 10 कुल 7 बीघा प. न. 221/304 कि. न. 24 ता 25 कुल 2 बीघा व प० न. 221/305 किन 4 ता 7 4 बीघा कुल 13—0 बीघा गैर दाखिलकार काश्तकार होने के कारण दिनांक 23—7—83 को आंवटित किया गया । उक्त कृषि भूमि व अन्य भूमि को आवंटन करवाने हेतू उपरोक्त पूर्वजों ने सन 1970 में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसे राजस्व अभिलेख का अलोकन कर आंवटन का पात्र मानते हुऐ उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का आंवटन स्वीकृत किया गया जिसकी अनुपालना में सभी किस्ते राज्य सरकार के कोष में जमा कर वाई गई। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 23—7—83 की पालना हेतु न्यायालय द्वारा दिनांक 23—9—83 को श्रीमान् तहसीलदार साहब, राजस्व टीबी को आदेश भेजा गया जिसकी पालना में उपरोक्त 13 बीघा भूमि में से चक 1 जी.जी. आर हाल चक 650 आर. डी के प. न. 221/204 कि नं0 24—25, प.न. 220/ 305 कि० न० 4 ता 7 कुल 6 बीधा कृषि भूमि का इन्तकात प्रार्थी एवं अन्य वारिसान के नाम अंकित होने से रह गया बाकी मादा 7—0 बीघा का इन्तकाल स० 109 दिनांक 14—10—85 आंवटियों के नाम अंकित हो गया था। उक्त भूमि विश्वेदारी की थी जो सम्बन्धित राजस्व कर्मचारीयों द्वारा आराजी राज दर्ज कर दी गई, जबकि जमाबन्दी के खाता न० 3 में बिश्वेदार का नाम व खाता न० 4 व 5 में सरकार व आंवटि गैर दाखिलकार का नाम अंकित किया जाना था। उक्त आराजी राज दर्ज होने से अन्य व्यक्तियो को मुआवजे के रूप में आंवटित कर दी गई, जिन्होंने आगे बैय कर दी। इस तथ्य अंकन तहसीलदार साहब राजस्व हनुमानगढ़ ने अपनी रिपोर्ट में किया जिसका व अन्य राजस्व अभिलेख पठन कर हमारे पूवर्जों को आंवटन कर दिया। विवादित उपरोक्त वर्णित भूमि का मौखिक कब्जा आज हमारे परिवार के पास है जो श्रीमान् तहसीलदार साहब,

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

टिब्बी कि रिपोर्ट से साबित है। प्रार्थी ने विवादित भूमि का इन्तकाल दर्ज करने हेतू श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी टिब्बी को निवेदन किया था, जिन्होने रिपोर्ट व जांच हेतू श्रीमान् तहसीलदार साहब टिब्बी के पास कागजात भेज दिये जहाँ जाँच प्रकरण लम्बित है। जिसमे पटवारी हल्का से वर्तमान राजस्व अभिलेख में अंकित प्रकरण व मौका की रिपोर्ट ली जा चुकि है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अन्य पूवर्जो वारिसान के नाम राजस्व अभिलेख में विवादित 7 बीघा भूमि का इन्तकाल किया जा कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्ती के आदेश फरमावें।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार टिब्बी से रिपोर्ट मंगाई गई, जो कि पत्रांक 638 दिनांक 25.02.2011 से प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

इस प्रकरण के विचाराधीन अवस्था में प्रार्थी जीवन सिंह का निधन हो जाने पर उनके वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया।

उभय पक्ष को सुना गया। प्रार्थी पक्ष के अभिभाषक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व अन्य पूर्वजों के वारिसान के नाम राजस्व अभिलेख में विवादित 7 बीघा भूमि का इन्तकाल किया जा कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये की प्रकरण में न्यायालय उप जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ द्वारा पत्रावली सं0 461/79 शीर्षक गैरदाखिलकारी आवंटन प्रार्थीगण तारासिह आदि बनाम स्टेट जिसमें जमीदारी एव बिस्वेदारी उन्नमुलन अधिनियम 1959 के तहत निर्णय दिनांक 23.07.83 को निर्णय पारित किया है जिसमे इस प्रकरण से सम्बन्धित भूमि का निर्णय तारासिह आदि के पक्ष में किया गया है। जबकि जमीदारी एंब बिस्वेदारी उन्नमुलन अधिनियम 1959 के नोटिफिकेशन No. D. 1620/F 11(4) Rev D/60 Dated /8.3.60 के तहत सुनवाई एव निर्णय करने का प्रावधान जिला कलेक्टर (जागीर) को दिया गया था। तत्पश्चात् जिला कलेक्टर श्री गंगानगर ने यह अधिकार अपर जिला कलेक्टर (जागीर) को प्रदत कर दिये। तत्पश्चात् जिला हनुमानगढ़ बनने से इस अधिनियम के तहत अधिकार माननीय न्यायालय (अपर जिला कलेक्टर जागीर हनुमानगढ़) को सुनने का अधिकार है। लेकिन प्रकरण में निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.83 उप जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ द्वारा पारित की गई है जिनको इस अधिनियम के तहत सुनवाई व निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार के निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध है। उप जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के निर्णय दिनाक 23.07.83 में अप्रार्थी बालकृष्ण के पिता जगदीशचन्द्र को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही पक्षकार बनाया गया। जबकि निर्णय में स्पष्ट अकित है कि भूमि जगदीशचन्द्र की खातेदारी है। प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धान्त है कि भूमि खातेदार (प्रभावित पक्षकार) को सुनवाई का आवश्यक रूप से अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। वर्तमान डिक्री पारित करते समय जगदीशचन्द्र प्रभावित पक्षकार को सुना नहीं गया है और ना ही कोई नोटिस जारी किया गया है। वर्तमान डिक्री दिनांक 23.07.83 की पालना में जमाबंदी में जगदीशचन्द्र पुत्र चन्दूलाल खातेदार का नाम हटाकर जीवणसिह आदि का नाम दर्ज करने की प्रार्थना की गई है। उप जिला कलेक्टर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.83 की पालना हेतु वर्ष 2009 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गयां है। अर्थात 26 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है। जबकि विधि के विधान अनुसार 12 वर्ष तक डिक्री की पालना का आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद पालना हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है। न्यायालय उप जिला कलेक्टर टिब्बी द्वारा प्रकरण सं० 554/221 बअनवानी विवेक बनाम बालकृष्ण आदि में निर्णय व डिक्री विवेक अग्रवाल के पक्ष में राज० काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 में डिक्री पारित कर दी है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में इस भूमि पर जीवनसिह आदि एव उसके किसी वारिसान का कोई अधिकार नही है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त तथ्यो, विधि व परिस्थितियों के मध्य नजर उक्त प्रकरण निरस्त फरमाया जावे।

बहस का उतर देते हुए राजकीय अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि पूर्ववर्ती आंवटन आदेश के प्रभावी रहते पश्चवर्ती आदेश शुरू से ही शुन्य है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया कि:—

अपर जिला कलेक्टर
हनुमानगढ़

1. प्रार्थी जीवण सिंह के प्रार्थना पत्र में अंकित चक 650 आर.डी. के पं.नं. 221/304 (10) किनं. 24–25 पं.नं. 220/305 (16) का कि.नं. 4 ता 7 कुल 6.00 बीघा भूमि आवंटन आदेश दिनांक 23.07.1983 अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन हेतु पेश किया गया।
2. तहसीलदार (भू0अ0) टिब्बी की रिपोर्ट अनुसार उक्त विवादित 6.00 बीघा रकबा प्रार्थी जीवन सिंह को दिनांक 23.07.1983 को आवंटन हुआ था। परन्तु पुराना चक 1/1 जीजीआर के नामान्तरकरण संख्या 43/1 दिनांक 23.08.1973 के अनुसार यह रकबा श्रीमान जिलाधीश महोदय श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 24.11.1971 व संशोधित आदेश क्रमांक 2620 दिनांक 21.04.1972 द्वारा निराणाराम, गोविन्दराम, मेघाराम पिसरान मनफुल कौम जाट साकिन तलवाडा को नाली डोब के तवादले में आवटन हुआ था। जो मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 67/1974 अनुसार उक्त निराणाराम वगैरह द्वारा बेचान करने पर यह 6.00 बीघा भूमि जगदीशचन्द्र पुत्र चन्दूराम कोम अग्रवाल सा. श्रीगंगानगर के नाम दर्ज हुई ।
3. वर्तमान में उक्त विवादित 6.00 बीघा भूमि चक 650 आरडी की जमावन्दी सम्वत 2065 से 2068 के खाता 51/42 में जगदीशचन्द्र पुत्र चन्दूराम कौम अग्रवाल सा श्रीगंगानगर के नाम बतौर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।
4. इस प्रकार प्रश्नगत भूमि प्रार्थी के आवंटन आदेश दिनांक 23.07.1983 से पूर्व निराणाराम, गोविन्दराम, मेघाराम पिसरान मनफुल कौम जाट साकिन तलवाडा को नाली डोब के तबादले में दिनांक 21.04.1972 आंवटन किया जा चुका था, अतः पश्चातवर्ती आदेश शुरू से ही शुन्य था।

उक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 35 एवं धारा 151 व 152 सीपीसी खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.) सत्यमेव जयते

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ